बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 14/आवंटन पटना, दिनांक 05.10.18

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 08/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, पटना

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड– 23-2851.00.104.0001 के अन्तर्गत गैर योजना (स्थायी) कार्यालय– रेडिमेड गारमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, राजभवन, पटना के स्थापना व्यय के वहन हेतु वर्ष 2018–19 में रू0 6,60,000/– (छः लाख साठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 6,60,000/– (छः लाख साठ हजार रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड–23-2851.00.104.0001 के अन्तर्गत विकलित होगा। राशि का मदवार वितरण निम्नवत् होगा :–

क्रम सं0	विषय शीर्ष/मद	राशि (रू0)
1	0001.01.01– वेतन	403800
2	0001.01.03– जीवन यापन भत्ता	163400
3	0001.01.04– मकान किराया भत्ता	65600
4	0001.01.05– परिवहन भत्ता	18600
5	0001.01.06– चिकित्सा भत्ता	8600
	कुल योग	**660000**

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 मे स्थापना व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

कृ0 पृ0 उ0

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड–23-2851.00.104.0001 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में **रू0 6,60,000/– (छः लाख साठ हजार रूपये)** मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका–11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 14/आयोजना पटना, दिनांक 05.10.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 14/आयोजना पटना, दिनांक 05.10.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।